न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास – झंवर लाल, आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 148/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 भैरू पुत्र श्री किशना अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

2 भगवान लाल पुत्र श्री लक्ष्मण अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

———प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री चावण्डा माताजी स्थान, तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये पुजारी रामेश्वर लाल नायक पुत्र श्री नाना लाल नायक आयु वयस्क निवासी – तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

3 नाना लाल पुत्र श्री नन्दा जी अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

4 नारू पुत्र श्री अमरा अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

5 हजारी आत्मज श्री कजोड़ अहीर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

6 देवा पुत्र श्री मांगी लाल नायक आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

7 नन्दा पुत्र श्री होकमा रेगर आयु वयस्क निवासी– तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

8 देवी लाल आत्मज श्री मांगी लाल अहीर आयु वयस्क निवासी-- तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::–

श्री प्रवीण चोरडिया————अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

श्री जगदीश चन्द्र दाधीच———अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 से 08

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30–04–2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम तख्तपुरा, पटवार हल्का तख्तपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.) स्थित विवादित

भूमि का संपूर्ण विवरण इस प्रकार है कि आराजी नम्बर 479, कुल रकबा 0.4679 हेक्टेयर, जिसमें से 0.0885 हेक्टेयर भूमि "गैर मुमकिन रास्ता" एवं शेष 0.3794 हेक्टेयर भूमि बंजर, वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी का साबिक नम्बर 662/2 है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजियां क्रमशः नम्बर 493, 494, 495, 496/1 एवं 496/2 हैं, जिनके साबिक नम्बर क्रमशः 558, 559, 564/3 एवं 564/2 हैं। उक्त समस्त भूमि एक ही राजस्व सीमा में स्थित होकर परस्पर जुड़ी हुई है तथा प्रार्थीगण का अपनी भूमि तक पहुंचने का एकमात्र साधन उक्त विवादित रास्ता ही है, जो कि प्राकृतिक, प्रचलित एवं आवश्यक मार्ग है। प्रार्थीगण की आराजियों तक आवागमन हेतु मुख्य मार्ग से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 479 में स्थित होकर आराजी नम्बर 497 एवं 1623/497 के सटमा से एक स्थायी रास्ता प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजगण निरंतर, निर्बाध एवं विधिवत रूप से करते रहे हैं। साबिक राजस्व नक्शों एवं अभिलेखों में उक्त रास्ता स्पष्ट रूप से दर्शित एवं तरमीमशुदा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त रास्ता विधिसम्मत एवं राजस्व अभिलेखों में मान्य मार्ग है। उक्त मार्ग के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचना संभव नहीं है, जिससे उनकी कृषि गतिविधियाँ, दैनिक उपयोग तथा आर्थिक हित गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। प्रार्थीगण द्वारा नवीन राजस्व अभिलेख एवं नक्शों का परीक्षण करने पर यह तथ्य सामने आया कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया अपनाए एवं बिना किसी सक्षम आदेश के, साबिक नक्शे में दर्शित उक्त "गैर मुमकिन रास्ता" को वर्तमान नक्शे में अंकित नहीं किया गया है, जिससे वह रास्ता कागजी अभिलेखों से विलोपित हो गया है, जबकि वास्तविकता में वह रास्ता आज भी मौके पर विद्यमान है। यह कार्यवाही पूर्णतः विधि विरुद्ध, मनमानी एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस त्रुटि के कारण प्रार्थीगण के वैध अधिकारों का हनन हो रहा है तथा भविष्य में विवाद उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में विपक्षी संख्या 02 (संबंधित राजस्व अधिकारी) को अनेक बार मौखिक एवं लिखित निवेदन प्रस्तुत किए गए, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई और प्रार्थीगण को न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु बाध्य किया गया।

अतः प्रार्थना है कि न्यायालय धारा 129, 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत इस प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर, तहसीलदार हमीरगढ़ को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह आराजी नम्बर 479 के वर्तमान राजस्व नक्शे में साबिक नक्शे के अनुरूप 0.0885 हेक्टेयर "गैर मुमकिन रास्ता" भूमि को विधिवत पुनः तरमीम कर अंकित करें तथा उक्त

रास्ते को स्थायी रूप से सुरक्षित किया जाए, ताकि प्रार्थीगण के आवागमन के वैध अधिकार संरक्षित रह सकें और भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

प्रार्थीयों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 30.11.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षियों की जरिये सम्मन तलबी की गई। विपक्षी को जारी सम्मन/नोटीस विधिवत तामील होकर रेकार्ड पर उपलब्ध है। विपक्षी राज्य पक्ष, तहसीलदार हमीरगढ़ द्वारा जवाब पेश करते हुए यह निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र के बिंदु संख्या 1 एवं 2 में वर्णित तथ्य अभिलेखानुसार सत्य एवं स्वीकार हैं, जिनके समर्थन में संबंधित जमाबंदी प्रतिलिपियाँ संलग्न की गई हैं। बिंदु संख्या 3 के संबंध में प्रार्थीगण को विधि अनुसार प्रमाण प्रस्तुत करना होगा; बिंदु संख्या 4 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं, जिसका समर्थन नजरी नक्शे से होता है, जो संलग्न है, बिंदु संख्या 5 एवं 6 के तथ्य प्रार्थीगण द्वारा स्वयं सिद्ध किए जाने योग्य हैं, अतः इस स्तर पर अस्वीकार करते हुए प्रमाण का भार प्रार्थीगण पर है। बिंदु संख्या 7 के तथ्य पूर्णतः अस्वीकार किए जाते हैं, तथा बिंदु संख्या 8 एवं 9 माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया से संबंधित होने के कारण इनके संबंध में पृथक उत्तर अपेक्षित नहीं है। अतः निवेदन है कि अभिलेखों एवं तथ्यों के आलोक में न्यायोचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

प्रकरण के विचारण के दौरान प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप नवीन पक्षकारों को प्रकरण में प्रार्थनापत्रानुसार पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। विपक्षीगण सं. 01 एवं 03 से 08 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया ही विधि विरुद्ध, अपोषणीय एवं खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि राजस्व नक्शा अधिकार अभिलेख की श्रेणी में नहीं आता तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 129, 131 एवं 136 के अंतर्गत राजस्व नक्शे में रास्ते की तरमीम कराने का कोई वैधानिक प्रावधान निहित नहीं है। धारा 131 में केवल मानचित्र एवं फील्ड बुक के संधारण का उल्लेख है, जबकि धारा 136 के अंतर्गत धारा 123, 124 एवं 125 से उत्पन्न विवादों का निस्तारण किया जाता है, जिनका संबंध खातेदारी वर्ग, लगान विवाद एवं अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों तक सीमित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा इन धाराओं के अंतर्गत रास्ते की स्थापना या तरमीम की मांग करना विधि के विपरीत है। यदि प्रार्थीगण को किसी निजी खातेदारी भूमि से रास्ते का अधिकार चाहिए, तो उसके लिए पृथक विधिक उपाय, जैसे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए या सक्षम सिविल न्यायालय में सुखाधिकार का वाद प्रस्तुत करना ही उचित उपाय है। इस प्रकार वर्तमान प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य

है, तथा इस आपत्ति का निर्णय वाद के गुण–दोष पर विचार करने से पूर्व किया जाना आवश्यक है।

तथ्यों के संबंध में निवेदन है कि यद्यपि आराजी संख्या 479, रकबा 0.4679 हेक्टेयर, विपक्षी संख्या 01 के खातेदारी अधिकार में दर्ज होना स्वीकार है, तथापि यह कथन असत्य है कि उक्त भूमि में 0.0885 हेक्टेयर "गैर मुमकिन रास्ता" पृथक रूप से दर्ज है। वास्तविकता यह है कि संपूर्ण भूमि एक ही चक के रूप में देवस्थान चावण्डा माताजी (नाबालिग खातेदार) के नाम दर्ज है और निरंतर उसी प्रकार से अभिलेखों में चली आ रही है। यदि किसी समय पर किसी प्रकार का रास्ता अंकित भी रहा हो, तो वह केवल उक्त खातेदारी भूमि के आंतरिक उपयोग हेतु था, न कि आम रास्ता या सार्वजनिक उपयोग का मार्ग। प्रार्थीगण की आराजियां (संख्या 493, 494, 495, 496/1, 496/2) पूर्वी दिशा में स्थित सार्वजनिक मार्ग से जुड़ी हुई हैं, जहां से उनका आवागमन पूर्व से ही निर्बाध रूप से होता रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त आराजियों के मूल खातेदार एक ही व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसों में विभाजन हुआ, और यदि विभाजन के कारण किसी वारिस को पीछे की भूमि प्राप्त हुई है, तो वह एक निजी पारिवारिक विवाद है, जिसका समाधान पड़ोसी की निजी भूमि से रास्ता लेकर नहीं किया जा सकता। मौके की वास्तविक स्थिति प्रार्थीगण के कथनों के विपरीत है। न तो वर्तमान में कोई रास्ता विद्यमान है और न ही पूर्व में ऐसा कोई सार्वजनिक मार्ग प्रचलन में रहा है। बल्कि प्रार्थीगण ने स्वयं ही पूर्व में उपलब्ध मार्ग अथवा खुली भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्के मकान निर्मित कर लिए हैं, जिससे यदि कोई मार्ग रहा भी हो तो उसके चिन्ह समाप्त हो चुके हैं। अब प्रार्थीगण अपनी सुविधा हेतु विपक्षी की खातेदारी भूमि से नया रास्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जो दुर्भावनापूर्ण एवं मिथ्या है। साबिक नक्शा (आराजी सं. 662/2) एवं वर्तमान नक्शा (आराजी सं. 479) दोनों में किसी सार्वजनिक रास्ते का स्पष्ट अंकन नहीं है। तहसील हमीरगढ़ का सेटलमेंट वर्ष 1975–76 में हुआ था और तब से अब तक लगभग 50 वर्षों में प्रार्थीगण द्वारा कभी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रार्थनापत्र अत्यधिक विलंब (मियाद से परे) से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा हाल ही में जानकारी होने का कथन निराधार एवं अविश्वसनीय है। इसके अतिरिक्त, सुखाधिकार के संबंध में घोषणा का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है, अतः राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में भी अस्वीकार्य है।

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जाए। साथ ही यह भी निवेदन है कि

प्रार्थीगण द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से, असत्य तथ्यों के आधार पर एवं विधि के विपरीत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अनावश्यक रूप से न्यायालयीन कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु बाध्य किया गया है, जिससे उन्हें मानसिक, आर्थिक एवं समय की हानि हुई है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध रू. 25,000/– हर्जा–खर्चा दिलाने का आदेश भी पारित करने की कृपा करे।

उभयपक्ष के दक्ष अभिभाषकों ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त अभिलेख, पक्षकारों के कथन, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं लागू विधिक प्रावधानों का सूक्ष्म एवं सम्यक् परीक्षण करने पर यह तथ्य स्थापित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से विचारणीय है। प्रार्थीगण ने अपने समर्थन में साबिक राजस्व नक्शा (आराजी सं. 662/2), वर्तमान जमाबंदी प्रतिलिपियाँ, नजरी नक्शा, स्थल स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया है, जिनसे यह स्पष्ट एवं प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि आराजी संख्या 479 में से 0.0885 हेक्टेयर भूमि "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में पूर्व से अंकित एवं प्रचलित रही है। साबिक नक्शे में उक्त रास्ते का स्पष्ट अंकन, तथा उससे संबंधित अभिलेखीय निरंतरता यह दर्शाती है कि उक्त मार्ग केवल कागजी प्रविष्टि मात्र नहीं, बल्कि वास्तविक उपयोग में आने वाला आवागमन का स्थापित साधन था। न्यायालय यह मानता है कि ऐसे सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि नवीन नक्शे में उसे परिलक्षित नहीं किया गया है, विशेषकर तब जब विलोपन की कोई वैधानिक प्रक्रिया अभिलेख पर प्रदर्शित नहीं की गई हो।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों का परीक्षण करने पर न्यायालय यह पाता है कि यद्यपि राजस्व नक्शा स्वयं "अधिकार अभिलेख" की श्रेणी में नहीं आता, तथापि यह अधिकार अभिलेखों का सहायक एवं पुष्टिकारक दस्तावेज है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। धारा 129, 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का समन्वित अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि राजस्व अभिलेखों में विद्यमान त्रुटियों, विसंगतियों एवं विवादों के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण किसी नवीन अधिकार की स्थापना नहीं, बल्कि साबिक अभिलेखों में अंकित मार्ग की पुनर्स्थापना (Restoration) चाहते हैं, जो कि प्रशासनिक/अभिलेखीय त्रुटि के सुधार के दायरे में आता है। अतः यह आपत्ति कि प्रार्थनापत्र विधि द्वारा वर्जित है या आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाना चाहिए, निराधार एवं अस्वीकार्य है। साथ ही, न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि धारा 251–ए

काश्तकारी अधिनियम का संदर्भ तभी प्रासंगिक होता जब नया रास्ता स्थापित किया जाना होता, जबकि वर्तमान वाद पूर्व विद्यमान मार्ग की बहाली से संबंधित है। तथ्यों के गहन परीक्षण से यह भी सिद्ध होता है कि प्रार्थीगण की आराजियां (संख्या 493, 494, 495, 496/1 एवं 496/2) तक पहुंचने हेतु विवादित मार्ग ही एकमात्र व्यवहारिक एवं ऐतिहासिक रूप से प्रचलित मार्ग रहा है। नजरी नक्शा एवं स्थल स्थिति के वर्णन से यह पुष्ट होता है कि उक्त मार्ग मुख्य रास्ते से जुड़कर प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच प्रदान करता रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा यह तर्क कि प्रार्थीगण के पास पूर्व दिशा में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, अभिलेखीय साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होता तथा यह केवल अनुमान पर आधारित कथन है। इसके विपरीत, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्थापित होता है कि उक्त मार्ग के विलोपन से उनके आवागमन के अधिकार में वास्तविक एवं गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा लगाए गए अवैध कब्जे एवं निर्माण संबंधी आरोप इस प्रकरण के प्रत्यक्ष विषय से पृथक हैं और उनका परीक्षण पृथक कार्यवाही में किया जाना अपेक्षित है, अतः इन आरोपों के आधार पर प्रार्थीगण के वैध अधिकार को नकारा नहीं जा सकता।

मियाद एवं विलंब के प्रश्न पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रार्थीगण का दावा सतत कारण पर आधारित है, क्योंकि मार्ग का विलोपन एवं उससे उत्पन्न अवरोध निरंतर प्रभावी स्थिति है। केवल इस आधार पर कि सेटलमेंट वर्ष 1975–76 में हुआ था, प्रार्थनापत्र को विलंबित नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब अभिलेखों की त्रुटि का प्रभाव वर्तमान में भी जारी है। इसके अतिरिक्त, सुखाधिकार से संबंधित आपत्ति भी इस वाद में निर्णायक नहीं है, क्योंकि यहां विवाद किसी नए अधिकार के सृजन का नहीं, बल्कि पूर्व अभिलेखीय स्थिति की पुनर्स्थापना का है। राजस्व न्यायालय को अभिलेखीय त्रुटियों के सुधार हेतु पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं, अतः क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति भी अस्वीकार की जाती है।

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार करते हुए तहसीलदार, हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्राम तख्तपुरा, पटवार हल्का तख्तपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज.) स्थित आराजी संख्या 479 (साबिक 662/2)

के वर्तमान राजस्व नक्शे में साबिक नक्शे एवं संबंधित अभिलेखों के अनुसार 0.0885 हेक्टेयर "गैर मुमकिन रास्ता" भूमि को विधिवत पुनः तरमीम कर अंकित करें तथा आवश्यक राजस्व अभिलेखों में संशोधन सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त मार्ग को प्रार्थीगण के वैध आवागमन हेतु संरक्षित रखा जाए तथा किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न होने दिया जाए। आवश्यक हो तो स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तद्नुसार अनुपालनार्थ प्रेषित हो।

यह आदेश आज दिनांक 30–04–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, हमीरगढ़